

26/12

पितासीन अधिकारी राजकाय में तयर्थ है।
दिनांक 10.12.25 को पेश हो।

12/10/8

पत्रावली पेश हुई मनीष का पत्र अपरिचित
पत्रावली अधिक होने की वजह से प्रकरण
में सुनवाई नहीं हो सकी। अतः पत्रावली
दिनांक 12.1.26 को पेश हो

19/12/25

पत्रावली पेश है वकील पत्राकार उप० श्री
वादीगण द्वारा प्राप्ता पत्र प्रस्तुत किया गया
व निवेदन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण का
आपस में शपथना हो गया है इस कारण
वाद को आगे नहीं चलाना चाहिए है अतः
वाद विद्वा के आधार पर खारिज किया जा
जावे।

प्राप्ता पत्र का अवलोकन किया गया। प्राप्ता पत्र
द्वारा प्रस्तुत प्राप्ति का स्वीकार किया जाने योग्य
है अतः वादीगणों का प्राप्ता स्वीकार किया
जाकर वाद विद्वा के आधार पर खारिज किया
जाता है पत्रावली केवल 2 गुणाल होकर नान्वर
से कम की जाकर हारिज 1 पत्र है।

निर्णय दिनांक 19/12/25

2
का सुनाया गया।